VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS R N 09 OCT 2016 No 2 RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 824)

Name of Candidate	Shailendra Singh Indoliya		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	7441
Center	ORN	Date	9/10/16

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Rights-based approach to social policy, which has rippled through India over the past decade and a half, reorients governance from ideas of patronage towards duty of the state and justified claims of citizens. Discuss with examples. Also, explain how the rights-based approach helps in improving public service delivery.

   'सामाजिक नीति के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण', जिसने पिछले डेढ़ दशकों से भारत को आंदोलित किया है। शासन को संरक्षण के विचारों से पुनः राज्य के प्रति कर्तव्य तथा नागरिकों के न्यायोचित अधिकारों की ओर ले जाता है। दृष्टान्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करें। इस बात की भी व्याख्या करें कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में किस प्रकार सहायता करता है?

वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक नीति- शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण से नागरिकों को प्रभावी सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित हुई है

उदाहरण के लिए- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से नागरिकों द्वारा प्रभावी सूचना प्राप्ति से उनकी शासन संबंधी प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

सरकार द्वारा नीति निर्माण → क्रियान्वयन

↓

नागरिकों तक सेवा की पहुंच

भागीदारीपूर्ण शासन ←

- इसी प्रकार शिक्षा के संबंध में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से शिक्षा के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण विकसित हुआ है।
- सरकार द्वारा कल्याण आधारित उपागम से अधिकार आधारित उपागम की ओर जाने का सिद्धांत राष्ट्रीय महिला नीति में भी परिलक्षित होता है।

कल्याण आधारित उपागम

↓

अधिकार आधारित उपागम

↓

नागरिकों की प्रभावी भागीदारी | जवाबदेह व पारदर्शी पूर्ण शासन

↓

समावेशी व न्यायपूर्ण लोकतंत्र

सार्वजनिक सेवा वितरण में आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का लाभ :

- नागरिकों द्वारा सरकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता मिलती है.
- योजनाओं की नागरिकों तक प्रभावी पहुँच
- सहभागी व नागरिक भागीदारीपूर्ण शासन का विकास
- सार्वजनिक सेवा वितरण में लीकेज की समस्या का कम होना
- हाल में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में भी आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण से नागरिकों तक प्रभावी खाद्य की पहुँच सुनिश्चित हुई है।

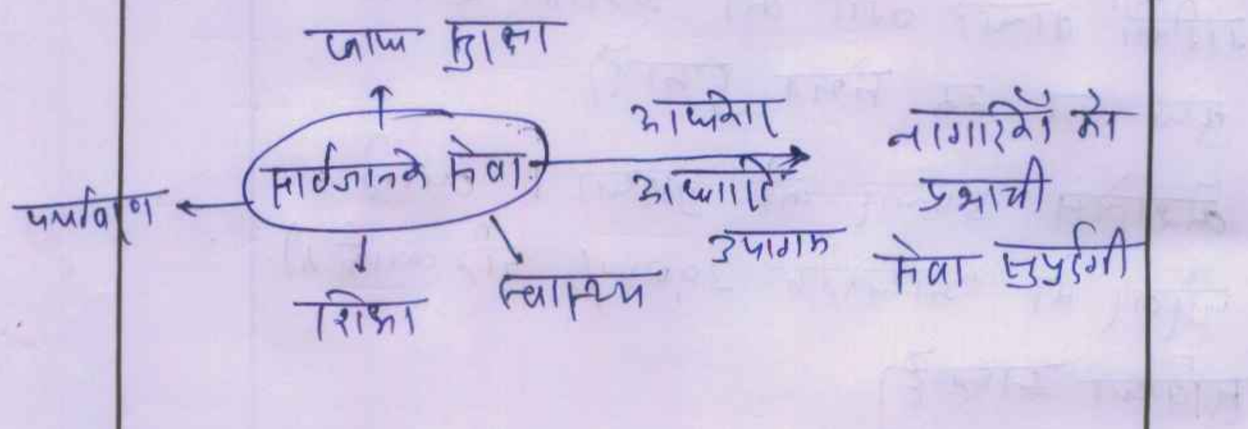

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Despite high enrolment in Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), out-of-pocket expenditure on health has steadily increased over the years. In this context, highlight the achievements and shortcomings of RSBY. Also, discuss the challenges faced in its implementation.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) में उच्च नामांकन (इनरोलमेंट) के बावजूद, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च में वृद्धि हुई है। इस सन्दर्भ में, आर.एस.बी.वाई. की उपलब्धियों तथा कमियों पर प्रकाश डालें। इसके कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा करें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा की मांग आपूर्ति एवं पहुंच सुनिश्चित करना था। आउट ऑफ पॉकेट व्यय आपूर्ति की मांग की तुलना में अधिक व्यय संबंधी स्थिति है।

RSBY की उपलब्धियां:

- स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में नागरिकों को प्रभावी बीमा उपलब्धता सुनिश्चित
- गरीबों वंचित वर्गों का प्रभावी इलाज कुछ हद तक संभव हुआ है
- कैशलेस उपचार की सुविधा। आपूर्ति व परिवार को अधिकतम 30,000/- प्रति आपूर्ति की सुविधा प्राप्त है।

कमियाँ :

- RSBY की प्रणाली पूर्ण न होना
- ग्रामीण क्षेत्रों में RSBY के प्रचार व जागरूकता हेतु आशा सहयोगियों का प्रभावी ढंग से उपयोग न करना।
- RSBY की संस्थागत व प्रक्रियागत खामियाँ।
- RSBY हेतु लाभार्थियों की उपयुक्त पहचान न हो पाना।
- निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे में प्रभावी ढंग से न ला पाना।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ :

- RSBY की निगरानी हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र का अभाव।
- अस्पतालों के स्तर पर अनियमितताओं की स्थिति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- योजना का वितरण सभी लाभार्थियों तक न होना। RSBY की लाभार्थिता हेतु स्मार्टकार्ड बनाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
- निजी अस्पतालों व सरकारी अस्पतालों के मध्य सामंजस्य का अभाव।

RSBY को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करके स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधाओं को हासिल किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Unhealthy competition between Self Help Groups (SHGs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) reduces the effectiveness of both. Discuss. How can creating a synergy between the two help in addressing development challenges at the sub-district level?

स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) तथा पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा, दोनों की प्रभाविता को कम करती है। चर्चा करें। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने से उप-जिला स्तर पर विकास की चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है?

स्वयं सहायता समूह व पंचायती राज संस्थाओं के मध्य प्रक्रियागत व संस्थागत रिश्ता महत्वपूर्ण अंतर्संबंध है। वर्तमान में दोनों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा दोनों की प्रभाविता को कम कर रही है।

- स्वयं सहायता समूह में पंचायतों को वोट प्रभाव के कारण अनावश्यक राजनीतिकरण की स्थिति होना।
- पंचायतों द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्धारित गतिविधियों में दखलंदाजी।
- स्वयं सहायता समूह में समान स्तर के सदस्यों (विशेषकर गरीबों, उपेक्षित, महिला) के बजाय पंचायती स्तर पर प्रभावी व्यक्तियों की भागीदारी होना।

- स्वयं सहायता समूह व पंचायती संस्थानों द्वारा एक दूसरे के कार्यों में प्रभावी सहयोग न करना। दोनों द्वारा कार्यों के संबंध में उपयुक्त परामर्श, विचार विमर्श का अभाव है।

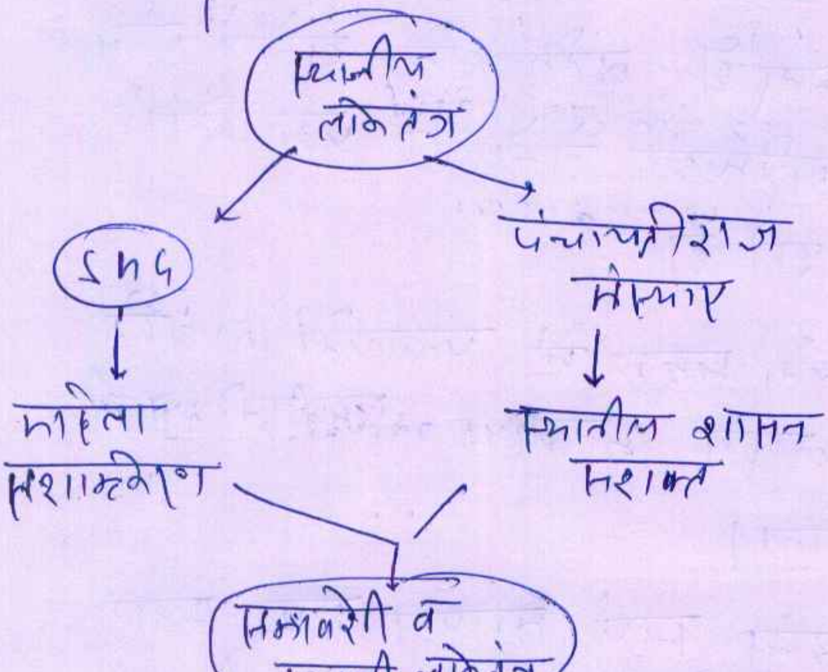

दोनों के बीच सामंजस्य से प्रभावी विकास

- SHG व PRI के बीच प्रभावी सामंजस्य से विकासपूर्ण गतिविधियों का प्रभावी

कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

- SHG और पंचायतों के बीच कार्यों के विषय में प्रभावी विचार विमर्श से स्थानीय स्तर पर विकास की गतिविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन होगा।
- S.H.G. व PRI के बीच सार्थक स्थानीय स्तर की समस्याओं का प्रभावी निगरानी कर उनका समाधान करेगा।
- S.H.G. का अनावश्यक राजनीतिकरण रुकेगा।
- S.H.G. में वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी व पंचायतों द्वारा S.H.G. पर प्रभुत्व की स्थिति समाप्त होगी।

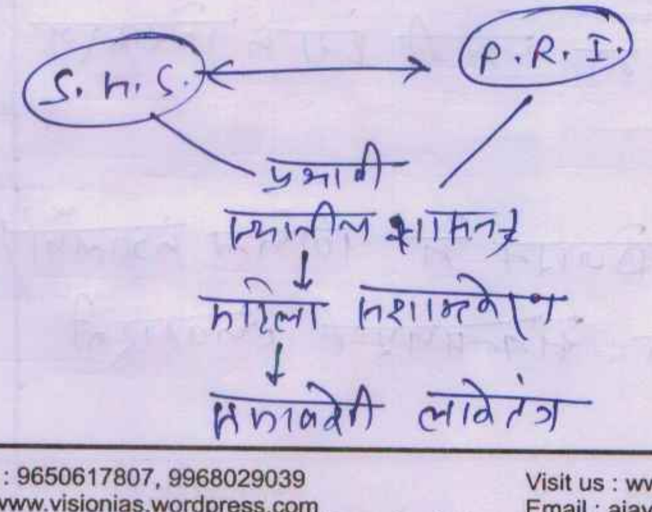

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. With an expected increase in old age population in the near future, there is a neec to increase the ambit and reach of social safety net for their welfare. Discuss the challenges which policymakers face in design, development and execution of welfare measures for the elderly. How far do the recent measures taken by the government address these?

निकट भविष्य में वृद्ध आबादी में अनुमानित वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में, वृद्ध जनों कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के दायरे को बढ़ाने और इस तंत्र की पहुँच उन तक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नीति-निर्माताओं द्वारा सामना की जा रही उन प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए जो बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना, विकास और उनके क्रियान्वयन से सबंधित हैं ।सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम इन चुनौतियों का किस हद तक समाधान करते हैं?

निकट भविष्य में भारत में वृद्ध आबादी के लगभग 12% होने की उम्मीद है), वृद्ध जनों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षातंत्र प्रभावी नहीं है।

कल्याणकारी योजनाओं की डिजाइन में चुनौती :

कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में वृद्ध/वरिष्ठ जनों की भागीदारी न होने के कारण उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से निराकरण नहीं होता है।

योजनाओं के डिजाइन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वयपूर्ण व्यवहार की कमी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- योजनाओं के डिजाइन में उपलब्ध कमियों को दूर करने हेतु स्कीमों की प्रभावी मॉनीटरिंग नहीं की जाती है।

कल्याणकारी योजनाओं के विकास में चुनौतियां :

- वर्तमान में वृद्ध सुरक्षा के कई आयाम है जबकि योजनाओं में केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है।
- योजनाओं का विकास वृद्धजनों की नये दौर में बढ़ रही समस्याओं को दरकिनार कर किया जा रहा है।
- वृद्धजनों से जुड़े गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी की योजना स्कीमों के विकास में भागीदारी नहीं।

क्रियान्वयन में चुनौतियां :

- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव।
योजनाओं के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु प्रभावी संस्थागत निगरानी तंत्र का अभाव।
योजनाओं के निर्माण में वृद्ध लोगों से फीडबैक न लेने से कमियां बनी रहती हैं।

सरकार द्वारा हाल के कदम.

वृद्ध जनों हेतु 2007 में वरिष्ठ जन सुरक्षा कानून पारित किया गया।
हाल में SC (सुप्रीम कोर्ट) ने पति को माता पिता से अलग करने के पत्नी के कृत्य को तलाक का आधार माना है।
वृद्ध जनों की पेंशन, सुरक्षा में प्रभावी उपाय।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Civil Society Organizations and Corporates share a symbiotic relationship, which can be leveraged to meet the developmental needs of India. Analyze. Also enumerate the CSR provisions under Companies Act, 2013.
नागरिक समाज संगठन तथा कॉर्पोरेट के सहजीवी संबंध, भारत की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में लाभदायक हो सकता है। विश्लेषण करें। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सी.एस.आर. संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करें।

सिविल सोसायटी व कॉरपोरेट का परस्पर संबंध नागरिकों हेतु बुनियादी आवश्यकताओं की प्राप्ति सुनिश्चित करा सकता है

कॉरपोरेट के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में इस हेतु प्रभावी प्रावधान किये गये हैं

सिविल सोसायटी ⟷ कॉरपोरेट
कॉरपोरेट ↓ वित्त उपलब्धता → सिविल सोसायटी
सिविल सोसायटी ↓ योजनाओं की प्रभावी पहुंच - नागरिकों में जागरूकता → भागीदारीपूर्ण शासन

कॉरपोरेट द्वारा सिविल सोसायटी के साथ मिलकर स्थानीय स्तरीय समस्याओं को जानकर उनका प्रभावी समाधान किया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 में CSR प्रावधान;

इस अधिनियम के अंतर्गत निश्चित लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों को कुल लाभ का 2% CSR गतिविधियों में देना अनिवार्य है।

- C.S.R. गतिविधियों का प्रभावी निष्पादन सिविल सोसायटी के माध्यम से हो सकता है।
- इसका प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण सुधार जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है।

C.S.R. संबंधी मुद्दे -

- कंपनी अधिनियम, 2013 में C.S.R. (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) संबंधी गतिविधियों को स्पष्टतया नहीं बताया गया है।
- कई कंपनियों द्वारा C.S.R. का प्रयोग

ब्रांड प्रमोशन के तौर पर किया जा रहा है।

- सभी कंपनियों द्वारा C.S.R. का प्रभावी उपयोग नहीं हो रहा है।
- C.S.R. के गैर अनुपालन की स्थिति में कोई दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 में नहीं है। इस कारण C.S.R. मानकों का उपयोग कई कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।
- C.S.R. गतिविधियों की स्थानीय शासन से तारतम्यता हेतु कोई संस्थागत तंत्र उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार सिविल सोसायटी व कॉरपोरेट के मध्य सहयोगी संबंध विकसित करने हेतु C.S.R. का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है। इस हेतु कंपनी एक्ट, 2013 में कुछ सुधार आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. According to a recent WHO report, India sees the largest number of suicides globally. In this context, enumerate the objectives and approach of India's new National Mental Health Policy. Also, explain what is Mental Health Action Plan 365.

हाल की डब्ल्यू.एच.ओ. रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सर्वाधिक आत्महत्याएं भारत में होती हैं। इस संबंध में, भारत की नवीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों तथा दृष्टिकोणों का उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 365 के संबंध में विस्तार से बताएं।

W.H.O. रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक आत्महत्या वाला देश माना गया है इसके कई कारण - सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हैं भारत की नवीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति में इनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है

उद्देश्य :

- मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में उपयुक्त दशाओं का निर्माण करना
- मानसिक स्वास्थ्य को बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित करना
- मानसिक असमान्य ग्रस्त व्यक्तियों की हिंसा को कम करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दृष्टिकोण :

- इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने हेतु बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया है।
- मानसिक स्वास्थ्य हेतु मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में उचित संशोधन की बात की गई है।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगी को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग देने की बात की गई है।
- इस नीति में मानसिक अस्वस्थ को रोगी/ मरीज की तरह उपचारित न करके एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपचारित करने को कहा गया है।
- मानसिक अस्वस्थता की स्थिति को एक रोग न मानकर एक स्थितिजन्य कारक माना गया है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2014

इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य को बुनियादी रूप से स्थापित करने का प्रावधान है। रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त संस्थान उपलब्ध कराने की योजना है।

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Urban sanitation has not received adequate attention at the national level in the past and few initiatives have been taken to tackle deficiencies in urban sanitation. In light of this, examine whether the Swachh Bharat Abhiyan can help in solving the urban sanitation problem.
अतीत में राष्ट्रीय स्तर पर शहरी स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तथा शहरी स्वच्छता में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए कुछ ही कदम उठाए गए थे। इस कथन के आलोक में इस बात का परीक्षण करें कि क्या स्वच्छ भारत अभियान शहरी स्वच्छता की समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है?

अतीत में शहरी स्वच्छता को शहरी योजना निर्माण के एक प्रमुख तत्व के रूप में नहीं लिया गया था। इसके कारण शहरीकरण के बाद शहरों का नियोजनीय विकास नहीं हुआ। वर्तमान में शहरी आबादी 32% है जिसके 2030 तक 50% होने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम
↓
निर्मल भारत अभियान
↓
स्वच्छ भारत अभियान

} स्वच्छता हेतु तीन कार्यक्रम

स्वच्छ भारत अभियान (2014-2019) तक क्रियान्वयन में रहेगा। इसका लक्ष्य 2019 तक खुले में शौच को रोकना, शहरों में प्रभावी

स्वच्छता लाना है

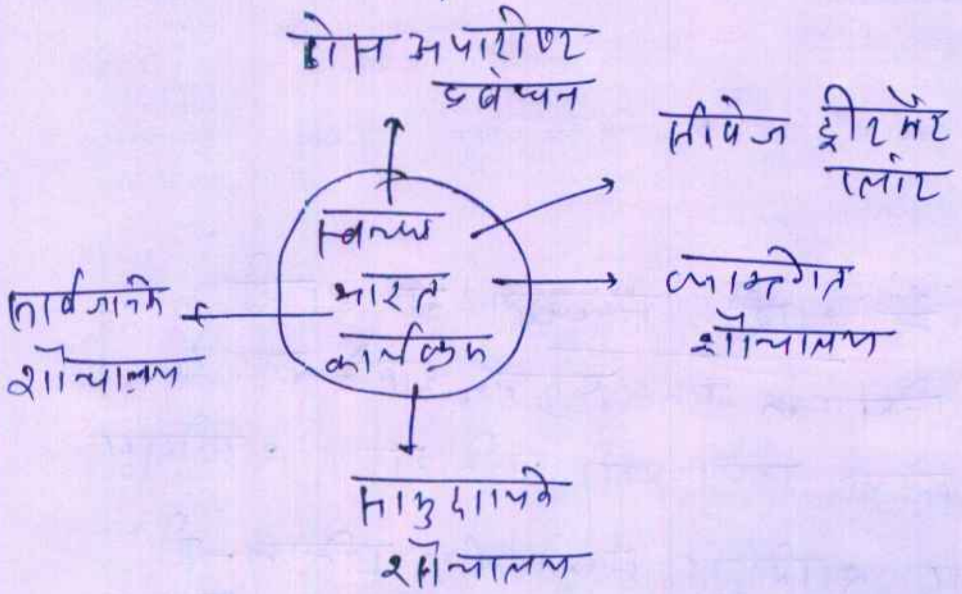

वर्तमान में शहरों की प्रमुख समस्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। जिसका प्रभावी निदान स्वच्छ भारत कार्यक्रम से होगा। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

चुनौतियां :

स्वच्छ भारत अभियान में व्यवहारात्मक दृष्टिकोण पर बल देने की आवश्यकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भारत में सामाजिक संरचना से जुड़ी विशिष्टताओं के कारण WHO मानकों के गड्ढे वाले शौचालयों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- शौचालयों में पानी की उपलब्धता न होना
- स्वच्छता संबंधी तंत्र पर प्रभावी रूप से ध्यान न देना।

तथापि स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी पहल है इसका क्रियान्वयन शहरी स्वच्छता को प्रेरित करेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. There is a need to move away from debates of 'public' versus 'private' provision of education towards models of education provision with public funding and private management. Discuss. Can such a move impact the quality and learning outcomes in elementary education?

अब शिक्षा के सार्वजनिक बनाम निजी प्रावधान संबंधी बहसों से आगे, सार्वजनिक वित्तीय सहायता तथा निजी प्रबंधन संबंधी प्रावधान वाले शैक्षिक प्रतिदर्शों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। चर्चा करें। क्या इस प्रकार का कदम प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा सीखने (अधिगम) की प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित कर सकता है?

शिक्षा के संबंध में वर्तमान में सार्वजनिक वित्तपोषण व निजी प्रबंधन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

<u>सार्वजनिक वित्तपोषण</u>

- शिक्षा के सेवा के रूप में होने के कारण सार्वजनिक वित्तपोषण की आवश्यकता है। निजी वित्तपोषण के परिणामस्वरूप शिक्षा का वाणिज्यीकरण का खतरा बढ़ जाता है।

- शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता है, निजी वित्तपोषण से शिक्षा क्षेत्र में विषमता बढ़ने की संभावना है क्योंकि कीमतें बढ़ने की संभावना है क्योंकि संस्थाना निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु एवं कारक बनेगी।

निजी प्रबंधन की आवश्यकता :

- शैक्षिक क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निजी प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अधिक प्रभावी है
- निजी प्रबंधन से बच्चों को प्रभावी शिक्षा के साथ प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली का भी विकास होगा।

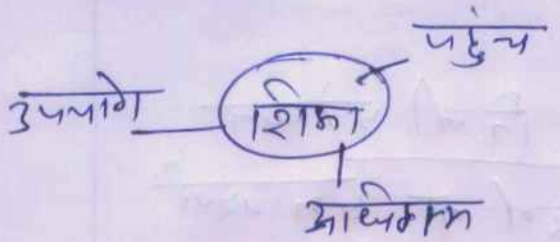

- निजीप्रबंधन शिक्षा की पहुंच, अधिगम को बढ़ाने में भी सहायक होगा।

=> छत्तीसगढ़ शिक्षा की गुणवत्ता व सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव नहीं

डालने की संभावना है तथा इसके क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु शिक्षकों के बेहतरीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

आलोचकों की आपत्ति उपयोगी अधिक प्रभावपूर्ण बनाने हेतु उपयुक्त निरीक्षण व्यवस्था होना आवश्यक है।

सार्वजनिक वित्तपोषण तथा निजी प्रबंधन शिक्षा का सार्वभौमीकरण व प्रभावपूर्ण बनाने की दिशा में एक तर्कसंगत कदम होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) bill recently passed by the Parliament is a regressive step towards protecting child rights in India. Examine.

हाल ही में संसद द्वारा पारित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक भारत में बाल अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक प्रतिगामी कदम है। परीक्षण कीजिए।

किसी भी देश की न्याय व्यवस्था को दण्डात्मक/प्रतिशोधात्मक होने की बजाय सुधारात्मक होना चाहिए। वर्तमान में किशोर न्याय (देखभाल संरक्षण) अधिनियम के प्रावधान कई मामलों में प्रतिगामी प्रतीत होते हैं।

नकारात्मक पक्ष -

- 16-18 वर्ष के किशोरों द्वारा किये जघन्य अपराध (जिनमें व्यस्क को सजा 7 वर्ष से अधिक मिल सकती हो) में उन्हें व्यस्क की तरह उपचारित किया जा सकेगा।
- व्यस्क के तौर पर मुकदमा चलाने का निर्णय किशोर न्याय बोर्ड का होगा जबकि वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड में मनोवैज्ञानिकों की कमी है तथा बोर्ड में प्रभावी सक्षम व्यक्तियों का अभाव है।

किशोर न्याय
बिल

- बाल कल्याण समिति
  - ↓ बाल रक्षा गृह
- किशोर न्याय बोर्ड
  - ↓ कानून के साथ विवाद की स्थिति वाले किशोर

प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियाँ आवश्यक। यद्यपि इनकी संख्या है पर्याप्तता नहीं है।

सकारात्मक पक्ष

CARA (केन्द्रीय दत्तक विनियमन प्राधिकरण) को सांविधिक दर्जा दिया गया है। यह बच्चों के गोद लेने से संबंधित प्रक्रियाओं को विनियमित करती है। इससे बच्चों को गोद लेने की

प्रक्रिया में सुधार आयेगा।

- इसके अतिरिक्त विभिन्न कानूनों में समन्वय का अभाव इस बिल को एक अतिगामी कदम बनाता है। उदाहरण के लिए - राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चे की उम्र 18 से कम मानी गई है।

- आपराधिक संहिता में परिवर्तन से IPC के अंतर्गत 18 साल की उम्र से कम सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्ध भी किशोर द्वारा उसे बलात्कार की श्रेणी में ला देगा जिससे उसपर कठोर कार्यवाही इस बिल के अंतर्गत हो सकती है। (जघन्य अपराध श्रेणी)

- इन मुद्दों को संबोधित का इस बिल में प्रभावी सुधार की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. "In a nation of one billion cell phones, M-governance or mobile governance has the potential to make development a truly inclusive and comprehensive mass movement". Illustrate how M-government can bring in more transparency and accountability in government functioning. Also, discuss the challenges in implementing M-government.

"एक अरब सेल फोन वाले देश में एम-शासन या मोबाइल शासन में, विकास को वास्तविक रूप में समावेशी तथा व्यापक जनांदोलन का रूप प्रदान करने की क्षमता है।" दृष्टांत के साथ व्याख्यायित करें कि एम-शासन किस प्रकार सरकार के काम-काज में और अधिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व ला सकता है। इसके अतिरिक्त, एम-शासन के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

M-गवर्नेंस से तात्पर्य प्रशासनिक योजनाओं की प्रभावी प्रयुक्ति में मोबाइल के प्रयोग से है। मोबाइल का प्रयोग JAM ट्रिनिटी (जनधन-आधार-मोबाइल) में सफल रहा है।

मोबाइल शासन से विकास समावेशी व व्यापक बनेगा।

मोबाइल शासन

समावेशी → मोबाइल तक सभी की पहुंच के कारण परियोजनाओं/स्कीमों का लाभार्थियों को प्रभावपूर्ण लाभ मिलेगा।

व्यापक → मोबाइल द्वारा स्कीमों की व्यापक निगे पहुंच

- मोबाइल के प्रयोग से साक्षरता का प्रोत्साहन हुआ। JAM trinity से सब्सिडी की लाभार्थियों तक प्रभावी पहुँच हुई तथा लीकेज की समस्या का समाधान हुआ।

- सरकार की योजनाओं की नागरिकों को प्रभावी जानकारी मिली। जागरूकता का विकास होने से अधिकार आधारित दृष्टिकोण विकसित हुआ।

- केरोसीन, राशन के संबंध में डीलर दुकानों पर सामग्री की उपलब्धता के संबंध में लाभार्थियों को मोबाइल पर मैसेज जा सकता है जिससे उन्हें बार-बार आने की बजाय एक बार सामग्री ले जाने का लाभ मिलेगा।

- ब्राजील जैसे देश में मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सब्सिडी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित हुआ।

डिजीटल गवर्नेंस / मोबाइल गवर्नेंस

↓

मोबाइल ←→ आधार

↓

बैंक से जुड़ाव

↓

प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण

↓

समावेशी शासन

M गवर्नेंस से चुनौतियां :

- मोबाइल का उपयोग करने के संबंध में कई लोगों में जागरूकता का अभाव
- चीनी (chinese) मोबाइलों के बढ़ते प्रयोग से सुरक्षा संबंधी चुनौतियां
- गांव में बिजली की समस्या के कारण मोबाइल चार्जिंग की समस्या

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. The Rights of the Persons with Disabilities Bill, 2014 fails to adopt United Nation Convention on the Rights of Persons with Disability (UNCRPD) in its true spirit. Examine. Also, highlight the recent suggestions made by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment in this regard.
नि:शक्तजन अधिकार विधेयक-2014, नि:शक्तजनों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) को सही अर्थों में अपनाने में विफल रहा है। परीक्षण करें। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण से संबंधित स्थायी समिति द्वारा प्रदत्त सुझावों पर प्रकाश डालें।

निशक्त अधिकार विधेयक, 2014 द्वारा संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का प्रभावी कार्यान्वयन प्रतिबिंबित नहीं किया गया।

- संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में निशक्त जनों हेतु की सरकारी सेवाओं, रोजगार में भागीदारी संबंधी प्रावधानों को इस बिल में अपूर्ण रूप से अपनाया गया है।
- बिल में निशक्त जनों हेतु आरक्षण को 5% तक करने की बात की गई है।
- अभिसमय में निशक्तजनों हेतु प्रभावी वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विस्तारगत ढंग की बात की गई है। जबकि बिल में इस तरह के प्रावधान का अभाव है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- बिल में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर निशक्तजन कल्याण बोर्ड बनाने की बात की गई है। जबकि इन बोर्डों के निर्देशों, प्रभावी शक्तियों व कार्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में निशक्तजनों के लिए कल्याण आधारित उपागम के बजाय अधिकार आधारित उपागम पर बल दिया गया था जिसका अभाव इस बिल में दिखाई देता है।
- बिल में राष्ट्रीय व निशक्तजन नीति के निर्देश से संयुक्त प्रावधानों का अभाव।
- बिल की ड्राफ्टिंग व विकास में निशक्तजनों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। सिविल सोसायटी, NGO का बिल निर्माण में प्रभावी योगदान नहीं लिया गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थानीय समिति द्वारा उठाए प्रभाव -

- रोजगार, सेवा में विशक्तजनों की प्रभावी भागीदारी प्रोत्साहित करना।
- उपयुक्त मॉनीटरिंग हेतु संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना।
- निशक्त जनों की प्रभावी भागीदारी हेतु बोर्ड, प्राधिकरणों सशक्त बनाना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. An empowered Gram Sabha is the bedrock of successful local governance. In this context, analyse the role of Gram Sabha as a pillar of development. What steps can be taken to strengthen their functioning?
एक सशक्त ग्राम सभा सफल स्थानीय शासन का आधार है। इस संदर्भ में, विकास के एक स्तंभ के रूप में ग्राम सभा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उनके कामकाज को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

सशक्त ग्राम सभा स्थानीय स्तर लोकतंत्र को जीवंत करने हेतु आवश्यक है। ग्रामसभा में उस गांव के सभी वोट डालने हेतु योग्य लोग सम्मिलित होते है। (वोटिंग लिस्ट में नामदर्ज)

- ग्राम सभा की विकास के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी भागीदारी है।
- सोशल ऑडिट के माध्यम ग्राम सभा प्रमुख भूमिका का निर्वहन करती है। जिससे स्थानीय स्तर के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाता है।
- विभिन्न परियोजनाओं जैसे- मनरेगा के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण इकाई है।
- स्थानीय स्तर के लोगों की प्रशासन में

भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

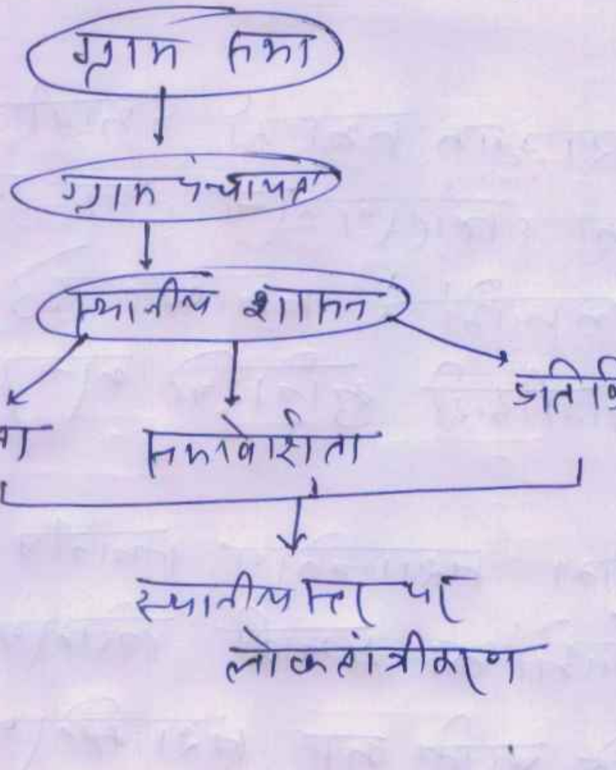

मजबूती हेतु कदम:

- ग्रामसभा की बैठकों को नियमित स्तर पर लागू करना।
- ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत प्रयास करना।

- ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णयों को पंचायतों के ऊपरी स्तरों तक विचाराधीन करना।
- पंचायतों द्वारा ग्राम सभा को प्रभावी शक्तियों का हस्तांतरण करना तथा उनकी स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्राम सभा का सशक्तिकरण स्थानीय स्तर की समस्याओं का प्रभावी निराकरण लोकतांत्रिक पद्धति का सशक्तिकरण करेगा।

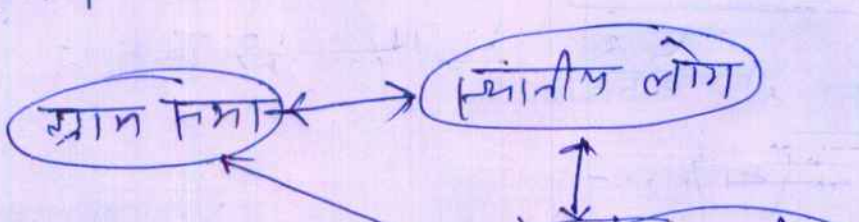

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The recent amendments to Child Labour Act seek to strike a balance between the need for education of a child and the reality of the socio-economic conditions. Critically evaluate.
बाल श्रम अधिनियम में हाल में किये गए संशोधनों का उद्देश्य किसी बालक की शिक्षा की आवश्यकता तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति की वास्तविकता में संतुलन स्थापित करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

बालश्रम अधिनियम में वर्तमान संशोधन भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किये गये थे।

- इन संशोधनों में बालक की शिक्षा व सामाजिक आर्थिक स्थिति में संतुलन पारिवारिक उपक्रमों के संबंध में स्थापित किया गया है।
14 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी तरह के नियोजन में प्रतिबंधित किया गया है लेकिन पारिवारिक उपक्रमों में इसमें छूट प्रदान की गई है यदि उनके द्वारा बच्चे की शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित न हो (स्कूल के घंटों के बाद परिवार कार्य)

- 14-18 उम्र के बच्चों के लिए किशोर श्रेणी बनी है। 18 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजन को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रतिबंधित किया गया है इसके अलावा उच्चतम न्यायालय 3 योजनाएं बनाई गई है।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया गया है।
- बच्चों के पुनर्वास हेतु पुनर्वास कोष बनाया गया है।
- यद्यपि पारिवारिक उपक्रमों के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है। क्योंकि वर्तमान में कई रिश्तेदारों द्वारा ही बच्चों का उनके नाम पर शोषण किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त माता पिता द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर प्रथम बार में कोई सजा न होने का प्रावधान है। आर्थिक स्थिति में गरीब अभिभावकों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

द्वारा बच्चे का नियोजन उपक्रमों में किया जाता है।

समाधान :

- कानून में निरोधकों को प्रभावी बनाने हेतु इनका क्रियान्वयन आवश्यक है। पारिवारिक उपक्रमों संबंधी कौशल की शिक्षा बच्चे को स्कूलों में देने का प्रावधान भी किया जा सकता है।
- पारिवारिक उपक्रमों के नाम पर बच्चों का शोषण न हो। इसके मॉनीटरिंग की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए।
- बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों व नीतियों (जैसे- राष्ट्रीय बाल नीति) में समन्वय की आवश्यकता।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Give an account of the features of 'Housing for All by 2022' mission. Also, discuss the challenges that lie ahead in its implementation.
"2022 तक सबके लिए आवास मिशन" की विशेषताओं का विवरण दें। इसके कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करें।

2022 तक सबके लिए आवास मिशन का उद्देश्य 2022 तक भारत के सभी नागरिकों को आवास उपलब्ध कराना है।

हाउसिंग फॉर आल

↙ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

↘ PMAY- शहरी

- इसी आवास योजना की तुलना में 'सबके लिए आवास योजना-2022' में वित्त को बढ़ाया गया है।
- योजना की निगरानी हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र का विकास किया गया है।
- ग्रामीण व शहरी दोनों स्तरों पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का प्रयास है।

चुनौतियाँ :

- वित्तपोषण की समस्या
- क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव।
- विभिन्न निकायों के बीच सांमजस्यता का अभाव।
- योजना को लागू करने हेतु राज्य व केन्द्र के बीच प्रभावी तालमेल की आवश्यकता है कई राज्यों में इस तालमेल का अभाव है।
- घरों के उन्नयन का प्रावधानों का उपयोग न होना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना की जागरूकता का अभाव।
-

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Enumerate the directives laid down by the Supreme Court for police reforms in the Prakash Singh case. Discuss the challenges faced in implementing these reforms.
प्रकाश सिंह वाद में पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख करें। इन सुधारों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

प्रकाश सिंह वाद में सुप्रीमकोर्ट ने विभिन्न निर्देशों का उल्लेख किया।

- राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की गई जिसका कार्य उच्च अधिकारियों का स्थानांतरण, पदोन्नति से संबंधी मामलों को देखना था।
- पुलिस कमीशन की नियुक्ति न्यूनतम 2 साल तक की जायेगी तथा इसका स्थानांतरण आयोग की सिफारिश होगा।
- पुलिस के बुरे मामलों की शिकायत हेतु स्वतंत्र शिकायत आयोग गठन किया जायेगा।
- पुलिस तंत्र में संस्थागत, संरचनागत सुधारों हेतु सिफारिशें दिये गये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अपराधिक प्रक्रिया संहिता, में सुधार का निर्देश।
- पुलिस के कांस्टेबल स्तर पर सुधार का निर्देश। कांस्टेबल व पुलिस अधिकारियों हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण का विकास करना।

कार्यान्वयन में चुनौतियां -

- राज्य सरकारों द्वारा इन सुधारों पर प्रभावी कार्यवाही न करना।
- पुलिस राज्य सूची विषय है। राज्यों द्वारा प्रभावी सुधार न होना ही कार्यान्वयन में चुनौती है।
- कई राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग बने हैं, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित हैं। हाल में शीना बोहरा केस में राकेश मारिया (मुंबई पुलिस कमीशनर) का स्थानांतरण सुरक्षा आयोग की सिफारिश

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के बिना कर दिया गया।

- पुलिस के राजनीतिकरण की समस्या। राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक नियंत्रण के कारण पुलिस के निर्वाचित शासकों को स्वतंत्र व स्वायत्त आयोगों को देने से इनकार करना।
- सुधारों के कार्यान्वयन की उपयुक्त निगरानी तंत्र का अभाव। सुधारों को लागू न करने के संबंध में कोई बाध्यकारी प्रावधान न होना।
- सर्वोच्च न्यायालय दिशानिर्देशों का पालन न करने पर कोई कार्यवाही न होना।

पुलिस सुधार हेतु इन दिशानिर्देशों को प्रभाव से लागू करने की तुरंत आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. What is E-Kranti? How is it an improvement over National e-Governance Plan? Discuss the challenges foreseen in the implementation of E-kranti.
ई-क्रान्ति क्या है? यह किस प्रकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना का परिष्कृत रूप है? ई-क्रान्ति के कार्यान्वयन संबंधी पूर्वानुमानित चुनौतियों की चर्चा करें।

ई-क्रांति से तात्पर्य सामाजिक सेवाओं - शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रमुख क्षेत्रों में तकनीक का प्रभावी उपयोग से है जिसके अंतर्गत टेलीशिक्षा, टेलीमेडीसिन आदि सुविधा उपलब्ध हैं।

=) राष्ट्रीय ई-शासन योजना में केवल प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया प्रशासनिक भी अब ई-क्रांति के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के प्रभावी निराकरण का प्रयास किया जायेगा जिससे नागरिकों को प्रभावी सेवा सुपुर्दगी होगी।

• राष्ट्रीय ई-शासन की तुलना में ईक्रांति एक व्यापक अवधारणा है।

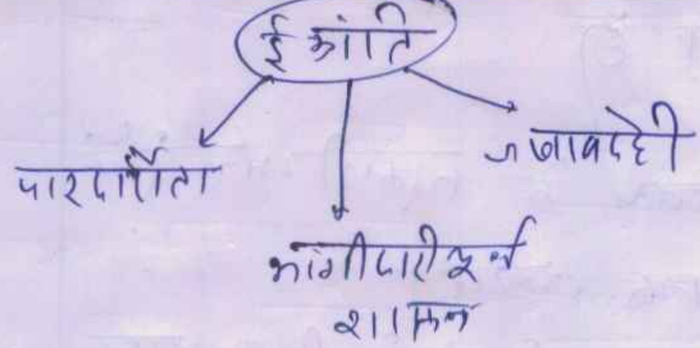

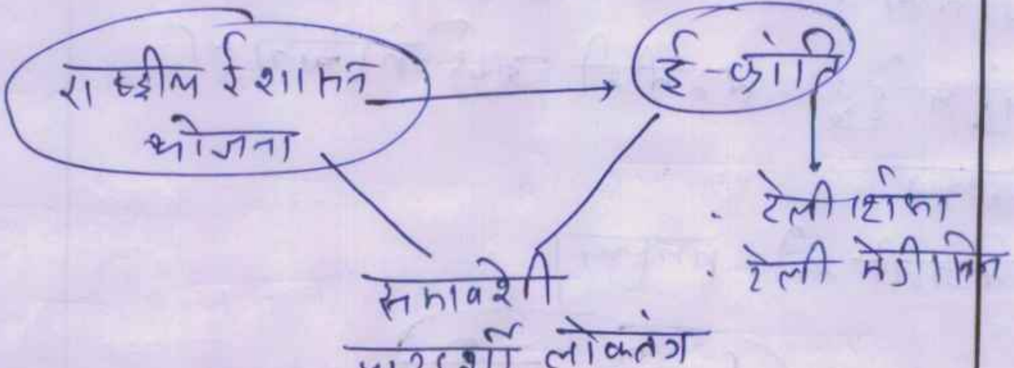

ई क्रांति हेतु कार्यान्वयन चुनौतियां:

- भारत में इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बहुत कम है।
- राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन न होना। जिसमें 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य था। जबकि अभी तक केवल 50,000 पंचायतों

को जोड़ा गया है)

- तकनीकी के संबंध में सरकारी संस्थाओं का असंतोषजनक व्यवहार।
- ग्रामीण क्षेत्रों तक ई क्रांति की अबाध पहुंच हेतु तकनीकी आधारभूत संरचना का अभाव
- बिजली की समस्या

ई क्रांति – चुनौतियाँ

- अवस्थापनात्मक
  - व्यवस्था संबंधी
  - अभिशासन संबंधी
- संस्थागत
  - तिजारत संबंधी
  - शहरी क्षेत्रों – आधारित व्यापार

ई क्रांति का प्रभावी उपयोग सशक्त व समावेशीलोकतंत्र उत्पन्न करेगा।

17. Some provisions of Official Secrets Act, 1923 go against the spirit of Right to Information. Explain. In this context, examine whether this necessitates repealing of the Official Secrets Act.
सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के कुछ प्रावधान सूचना के अधिकार की भावनाओं के विरुद्ध हैं, व्याख्या करें। इस सन्दर्भ में, इस बात की जांच करें कि क्या इसके लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता है?

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 में गोपनीयता पर अधिक जोर दिया गया है क्योंकि औपनिवेशिक सरकार का मुख्य कार्य लोगों को प्रशासन की जानकारियों में [illegible] बनाना था। जबकि सूचना का अधिकार, 2005 लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

गोपनीयता अधिनियम 1923 — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

गोपनीयता अधिनियम 1923 → गोपनीयता (औपनिवेशिक) मामला

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 → पारदर्शिता, जवाबदेही → समावेशी व भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यद्यपि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से नागरिकों को जानकारी प्राप्त कर पारदर्शी शासन की ओर कार्य बढ़ाये गये हैं तथापि गोपनीयता अधिनियम, 1923 के कुछ सरकारी प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता व अखंडता की दृष्टि से लाभप्रद है।

- सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध कुछ गोपनीयता संबंधी उपबंधों को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि पारदर्शिता के साथ सरकारी तंत्र की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।
- सरकार की कुछ योजनाएं जिनका सुरक्षा की दृष्टि से अहम स्थान है उनको सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है।

2nd ARC व अन्य आयोगों ने भी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र OSA (सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923) को बनाये रखने का सुझाव दिया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Desp te increasing awareness of beneficiaries, social audits have not played a significant role in reducing malpractices and detecting irregularities. Discuss. How can social audits be made more effective?
लाभार्थियों की बढ़ रही जागरूकता के बावजूद सामाजिक लेखांकन ने भ्रष्टाचार को घटाने तथा अनियमितताओं का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। चर्चा करें। सामाजिक लेखांकन को किस प्रकार और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है?

सामाजिक लेखांकन से अभिप्राय किसी परियोजना के प्रभावी लागू होने के संबंध में की गई अंकेक्षण प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से भ्रष्टाचार घटाने व अनियमितताओं का पता लगाने में सफल नहीं रही है।

कारण :

- सामाजिक लेखांकन की प्रक्रिया की कई परियोजनाओं में अनदेखी।
- सामाजिक लेखांकन के संबंध में की गई कार्यवाही की प्रभावी मॉनीटरिंग न होना।
- सामाजिक लेखांकन में स्थानीय लोगों की भागीदारी के स्थान पर बाहरी लोगों की भागीदारी का होना।

- सामाजिक लेखांकन से पहले परियोजना का प्रारंभ हो जाना। सामाजिक लेखांकन हेतु आवश्यक जानकारी ग्राम सभा को प्रदान न किया जाना।
- ग्राम सभा की प्रभावी भागीदारी न होना।
- स्थानीय लोगों में सामाजिक लेखांकन के संबंध में जागरूकता का अभाव।
- सामाजिक लेखांकन में निर्धारित मानकों का प्रयोग न करना। सिविल सोसायटी NGO की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित न होना।

प्रभावी बनाने के उपाय :

- सामाजिक लेखांकन के संबंध में रिपोर्टों का उचित रखरखाव। सामाजिक लेखांकन की रिपोर्ट के पर की गई कार्यवाही की उपयुक्त जांच करना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- किसी परियोजना की शुरुआत के पहले सामाजिक लेखांकन प्रक्रिया करवाना।
- ग्राम सभाओं को सामाजिक लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराना।
- इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में निगरानी हेतु अलग संस्थागत तंत्र का विकास करना।
- सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया में सिविल सोसायटी, NGO, नागरिक संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।

सामाजिक लेखांकन को प्रभावी बनाने में प्रशासनिक निर्णयों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी प्रभावपूर्ण होगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Nutrition status is linked to non-nutrition factors. In light of this statement, examine why despite a fast growing economy and the largest anti-malnutrition programme, India has the world's worst level of child malnutrition. What steps has the Government taken to to tackle the malnutrition problem in India?

पोषण की दशा का सम्बन्ध गैर-पोषण कारकों से है। इस कथन के आलोक में, इस बात की परख करें कि तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था तथा सबसे बड़ें कुपोषण-रोधी कार्यक्रम के बाद भी, भारत विश्व में बाल-कुपोषण के संदर्भ में निम्नतम स्तर वाले देशों में शामिल है।

पोषण की दशा कई कारकों पर निर्भरती है भारत में कुपोषण की संख्या किशोरी लगभग 40% है जिसके लिए सांस्कृतिक व प्रकृतिगत कारक है

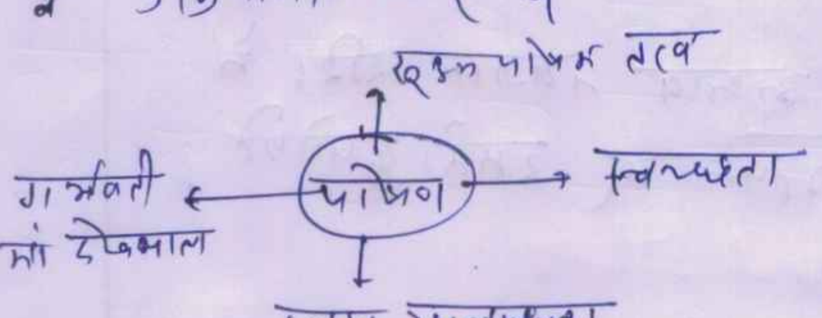

कुपोषण का सीधा संबंध सामाजिक आर्थिक कारकों से है पितृसत्तात्मक सोच के कारण गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है (यदि गर्भ में लड़की हो तो)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- रूढ़िवादी परंपराओं / सोच के कारण गर्भवती मां को कम पोषण। अमत गांवों में यह सोच है कि कमजोर शिशु पैदा होने के प्रसव में आसानी होती है।
- गर्भवती मां को प्रभावी पोषण का अभाव नवजात शिशु के कुपोषण का कारण बनता है।
- स्वच्छता का अभाव नवजात शिशु में बीमारियां उत्पन्न कर उसको कुपोषित करता है।
- कुपोषण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य निर्माण समन्वय का अभाव

बाल कुपोषण → महिला व बाल विकास मंत्रालय
बाल कुपोषण → स्वास्थ्य मंत्रालय
} समन्वय अभाव

- कुपोषण-रोधी कार्यक्रमों की जानकारी का ग्रामीण स्तर पर अभाव।
- बच्चों को स्तनपान कराने की और महिलाओं की कम प्रवृत्ति के कारण बच्चों में स्थायी कुपोषण उत्पन्न होता है। वर्तमान वैश्वीकृत दौर में महिलाओं द्वारा शिशु के लिए बाजारीकृत दूध का प्रयोग किया जाता है।

कुपोषण कारक योजनाएं
- नियोजनगत कमी
- कार्यान्वयन स्तर

- प्रभावी वित्त उपलब्धता का अभाव।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में भी 'मां व शिशु' पर विशेष ध्यान देकर कुपोषण हटाने की दिशा में प्रयास किए गये हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Autonomous District Councils (ADCs) based on the Sixth Schedule of the Constitution of India are described as 'State in miniature'. Elaborate. Also, critically evaluate the functioning of ADCs over the years.

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पर आधारित स्वायत्त जिला परिषद (ए.डी.सी.) को 'लघु रूप में एक राज्य' के रूप में वर्णित किया जाता है। व्याख्या करें। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों के दौरान ए.डी.सी. की कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

6 वीं अनुसूची पर आधारित स्वायत्त जिला परिषद को कई संवैधानिक अधिकार दिये गये हैं। जो इसे लघु रूप में राज्य बनाता है।

- विधायी अधिकार - जैसे उत्पादों, भूमि के प्रबंध में आक्षेप
- न्यायिक अधिकार
- कार्यपालिका संबंधी शक्तियां
- परंपरागत रीतिरिवाजों के आधार पर प्रशासनिक गतिविधियां चलाने की स्वायत्तता
- संसाधनों पर विशेष अधिकार संबंधी उपबंध

राज्यों की इन जिलापरिषदों के संबंधों में सीमित शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को इस संबंध में विशेष शक्तियां दी गई हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पिछले कई वर्षों से जिला नियोजन परिषद को कार्यों का प्रभावी आवंटन नहीं किया गया है

- इसके अतिरिक्त जिला परिषदों द्वारा विकासात्मक उपबंधों के अनुरूप निधि नहीं लिये गये हैं
- राज्यों के कई उपबंधों तथा जिलापरिषदों के निधियों के संबंध में तारतम्यता का अभाव
- स्वायत्त जिला परिषदों को प्रभावी आयामों के आवंटन के संबंध में होते संघर्षकी समस्या
- संसाधनों पर जिलापरिषदों के अधिकार के संबंध में विरोधाभास की स्थिति (नागालैण्ड राज्य के क्षेत्रों में सामरी कंपनियों द्वारा संसाधनों का उपयोग, अन्वेषण आदि)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस प्रकार स्वायत्त जिला परिषदों व राज्यों के बीच प्रभावी परामर्श व विचार विमर्श की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक उपबंधों व सिद्धांतों का प्रभावी पालन हो सके।

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Emal : ajay.visionias@gmail.com